



Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

पत्र क्र. 1780/साँ.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि./वित्त/2025

सलामतपुर, दिनांक 02/09/2025

कार्यदेश

प्रति,

V P A & Co
Chartered Accountants
E6/61, Arera Colony, Sai Baba Board
11 No. Stop, Bhopal – 462016 (M.P.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कर सलाहकार की सेवायें लिये जाने के संबंध में

संदर्भ :- आपका कोटेशन दिनांक 08.08.2025.

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कोटेशन में उल्लेखित अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय कार्य/मामलों में कर संबंधी सलाह हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दरों को निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

स.क्र.	कार्य का विवरण	राशि रूपये (वार्षिक)
1.	आयकर टी.डी.एस. त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना।	13,600/-
2.	टी.डी.एस. फॉर्म 16 एवं फॉर्म 16 ए उपलब्ध कराना। (16A & 16 B)	3,500/-
3.	विश्वविद्यालय का वार्षिक आयकर विवरणी जमा करना।	3,600/-
4.	तैयार लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करना। (Audited Balance Sheet & Bank Reconciliation)	29,000/-
5.	वृत्तिकर विवरणी प्रस्तुत करना।	1,600/-
6.	जी.एस.टी. टी.डी.एस. विवरणी जमा करना।	8,400/-
7.	जी.आई.एस. विवरणी जमा करना।	8,400/-
8.	विश्वविद्यालय द्वारा वृत्तिकर, जीएसटी, आयकर की गणना करने से संबंधित एवं अन्य वैधानिक/ विधिक/वित्तीय मामले से संबंधित सलाह देने बावत्।	कार्य के अनुसार
	कुल राशि रूपये	68,100/-

शर्त :-

- समस्त कार्य विश्वविद्यालय परिसर, साँची-सलामतपुर तिराहा, तहसील साँची जिला रायसेन में किए जाने होंगे, जिसका परिवहन एवं अन्य व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- समस्त कार्य विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार/नियमानुसार निर्धारित समयावधि में किए जाने होंगे।
- आपके माध्यम से संपादित किसी वित्तीय कार्य में त्रुटि होने पर जिम्मेदारी आपकी होगी।
- कार्य संतुष्टि के आधार पर वांछित कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।



Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

Sanchi University of Buddhist-Indic Studies

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

// 2 //

5. आपके द्वारा किये गये कार्यों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अपने स्तर पर संतुष्ट होने के उपरांत वांछित कार्य पूर्ण माना जावेगा। अन्यथा उक्त कार्य विश्वविद्यालय के संतुष्ट न होने तक पूर्ण नहीं माना जावेगा।
6. उक्त कार्य हेतु अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. वांछित कार्य पूर्ण होने के उपरांत देयक दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षणोपरांत कार्य संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
8. देयक में से नियमानुसार जीएसटी कर एवं शासन नियमानुसार स्रोत आयकर कटौती की जावेगी।

कुलसचिव

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय